



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-05.07.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर में चोरी के मुकदमे से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्तगण को जेल में बितायी गयी अवधि व 300/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0120/1998 धारा 380,411 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- धर्मेन्द्र उर्फ अप्पू पुत्र कोमल प्रसाद मिश्रा निवासी कामापुर हाथी जनपद वाराणसी व 02- संतोष पाठक पुत्र कैलाश नाथ निवासी म0नं0-27/272 बसवरिया, महेशपुर थाना जंसा जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-04.07.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-07 जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को अंतर्गत धारा 380,411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी अवधि व 300/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।